

संख्या:- ई0डी0एन0 / के0जी0आर0(ई-8)सामान्य / 2019-20 -11011-12
कार्यालय उप-निदेशक शिक्षा, (प्रारम्भिक)
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

दिनांक:- धर्मशाला, 176215

13 मार्च 2020

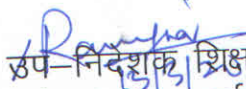
सेवा में,

समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रा.व.मा.पा.,
रा.उ.पा., रा.मा.पा., रा.प्रा.पा. व निजी स्कूल,
जिला कांगड़ा हि.प्र.।

विषय:- कारोना वायरस के सम्बन्ध में जारी निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस को ध्यान रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्कूलों में किसी भी प्रकार की बैठक या सभा नहीं होनी चाहिए, ताकि खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव किया जा सके।


उप-निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

प्रतिलिपि:

1 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।


उप-निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)
कांगड़ा स्थित धर्मशाला